(8)

...ेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

विविध वाद संख्या–56/2014

धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता

आदेश

राम नरेश पासवान वगैरह ——————— प्रथम पक्ष

बनाम्

दशरथ पासवान वगैरह———————— द्वितीय पक्ष

16.01.2018 यह प्रक्रिया धारा 145 दं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत ग्राम–चिरू थाना– छत्तरपुर, जिला–पलामू के लिए प्रारम्भ की गई।

प्रक्रिया अंतर्गत– भूमि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)
चिरू	छत्तरपुर	34	1589	0.09
			1592	0.04
			1595	0.10
			1596	0.04
			1604	0.08
			1752	0.15
			1767	0.07
			1772	0.10
			1781	0.16
			1787	0.08
			1790	0.17
			1809	0.03
			1811	0.02
			1813	0.03
			1819	0.02
			1828	0.03
			1838	0.09
			1840	0.02
			1852	0.16
			1856	0.14

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
1	2	
	1859	0.13
	1868	0.12
	1869	0.22
	1871	0.06
	1872	0.11
	1874	0.04
	1875	0.05
	1887	0.02
	1898	0.12
	1906	0.03
	1912	0.03
	1913	0.11
	1921	0.01
	1925	0.07
	1934	0.02
	1942	0.03
	1946	0.04
	1952	0.01
	1970	0.01
	1975	0.03
	1979	0.03
	1981	0.02
	1982	0.01
	1983	0.04
	1996	0.03
	2003	0.04
	2026	0.12
	2035	0.06
	2041	0.25
	2042	0.11
	2053	0.21
	2057	0.10
	2076	0.29

9

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2		3
	2084	0.04	
	2093	0.05	
	2098	0.07	
	2106	0.03	
	2110	0.03	
	2111	0.11	
	2124	0.01	
	2140	0.05	
	2145	0.03	
	2148	0.16	
	2154	0.03	
	2158	0.02	
	2167	0.02	
	2169	0.07	
	2186	0.04	
	2198	0.12	
	2205	0.05	
	2212	0.09	
	2220	0.02	
	2244	0.03	
	2246	0.05	
	2255	0.13	
	2263	0.06	
	2270	0.11	
	2288	0.05	
	2301	0.12	
	2306	0.14	
	2309	0.03	
	2323	0.05	

उपरोक्त वर्णित भूमि पर दोनो पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए दोनों पक्षों से लिखित कथन एवं प्रक्रिया अंतर्गत भूमि के वास्तविक दखल–कब्जे के सबूत में साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

इस न्ययालय द्वारा निर्गत नोटिस प्राप्ति के बाद प्रथम पक्ष

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2
	द्वारा अपना लिखित जबाव दाखिल करते हुए अपना दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया जबकि द्वितीय पक्ष की ओर से उनकी उपस्थिति के बाद न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और न ही अपना लिखित कथन दाखिल किया गया है।
	प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल लिखित कथन से उनके दावे का सार यह है कि मौजा चिरू थाना नं0–331, खाता सं0– 34 के खतियानी रैयत तुफानी दुसाध वल्द शिवचरण दुसाध कौम दुसाध साकिन देह गत सर्वे खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत खाता सं0–34 के अंतर्गत प्लॉटों पर दखल– कब्जे में रहे और मरने के बाद उनके वंशज आज भी दखल–कब्जे में हैं। खतियानी रैयत के वंशज के नाम पर सरकारी रसीद निर्गत होते चला आ रहा है। प्रथम पक्ष का ननीहाल मौजा चिरू टोला हेसला थाना– छत्तपुर के अंतर्गत है और प्रथम पक्ष अपने नाना के सम्पति पर दखल – कब्जे में हैं एवं सरकारी रसीद भी निर्गत होते चला आरहा है। प्रथम पक्ष के सदस्य खतियानी रैयत तुफानी दुसाध के तीन पुत्री कमशः चईनी देवी, देवमतिया देवी एवं सीतवा देवी के संतान हैं। द्वितीय पक्ष के लोग बदमास प्रवृति के लोग हैं जो बल पूर्वक प्रथम पक्ष के भूमि को हड़पना चाहते हैं।
	प्रथम पक्ष की ओर से मौखिक साक्षीयों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार हैः–
	प्रथम पक्ष साक्षी सं0–01 राजेन्द्र पासवान पिता– रामनंदन पासवान ग्राम– रबदा, थाना– नौडीहा बाजार जिला– पलामू ने अपने परिक्षण में प्रथम पक्ष का जोत– कोड़ एवं दखल – कब्जे का दावा किया है।
	प्रथम पक्ष के साक्षी सं0–02 मुरलीधर राम पिता– नकुल राम ग्राम– रसीदा थाना– नौडीहा बाजार जिला– पलामू ने भी अपने परिक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत जमीन पर प्रथम पक्ष के लोगों का दखल–कब्जा का–

(10)

...ो कम ...और ...ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

दावा किया है।

<u>प्रथम पक्ष के साक्षी सं0–03</u> रामनारायण पासवान पिता– सुखदेव पासवान ग्राम– दमवा थाना– हरिहरगंज जिला– पलामू ने भी अपने परिक्षण में प्रक्रिया अंतर्गत जमीन पर प्रथम पक्ष के लोगों का दखल–कब्जा का दावा किया है।

<u>प्रथम पक्ष के साक्षी सं0–04</u> राम नरेश पासवान पिता– सुखदेव पासवान ग्राम– दमवा थाना– पीपरा जिला– पलामू ने भी अपने परिक्षण में बताया कि प्रक्रिया अंतर्गत भूमि मेरे नाना की है। मेरे मामा नहीं थे। नाना के मृत्यू के बाद मेरी माँ एवं मौसी दखल– कब्जा में है। माँ एवं मौसी मर गई। अभी इस जमीन को जोत कोड़ एवं आबाद कर रहा हूँ। रसीद मेरे माँ एवं मौसी के नाम से कट रहा है। द्वितीय पक्ष के लोग बदमास हैं जो मेरे जोत कोड़ से बेदखल करना चाहते हैं।

<u>प्रथम पक्ष के साक्षी सं0–05</u> सुशिल कुमार पासवान पिता– राम नरेश पासवान ग्राम– दमवा थाना– पीपरा जिला– पलामू के द्वारा एक सरकारी लगान रसीद एवं खतियान के सत्यापित प्रति को दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप मे सबूत किया है जिसे इस न्ययालय द्वारा प्रदर्श– 1 एवं प्रदर्श– 2 अंकित किया गया है।

प्रथम पक्ष के अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि द्वितीय प्रक्ष के द्वारा इस वाद में लिखित कथन एवं कागजात दाखिल नहीं किया गया है और न ही मौखिक साक्ष ही लिया गया है ऐसी परिस्थिति में द्वितीय पक्ष को बिना सुने इस वाद में एकरतफा आदेश पारित करना न्यायसंगत एवं उचित प्रतित नहीं होता है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

16/1/18 | 16/1/18

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

अनुमंडल दंडाधिकारी,
छत्तरपुर, पलामू।

Digitally signed by HEERA KUMAR
Date: 2024.07.19 21:27:20 +05:30
Location: 192.168.128.28